स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

छठा तल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली- 110003

दिनाक: 26.07.2019

केस नंबर: KL/13/2019/STGUP/SEFCC/RU-I
केस नंबर: SG/14/2019/STGUP/ SEFCC/RU-I

सेवा में,

ज़िला अधिकारी,
ज़िला- आजमगढ़,
(उत्तर प्रदेश)

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी,
ज़िला- आजमगढ़,
(उत्तर प्रदेश)

विषय: लेखपाल एवं तहसीलदार द्वारा गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में- आजमगढ़ ज़िले में अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा, के अभ्यावेदनों के संबंध में ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, सुश्री अनुसुईया उइके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 16.07.2019 समय 02.30 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति (संलग्न) आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है ।

यह अनुरोध है कि आयोग द्वारा की गई अनुसंशाओं पर कार्यवाही रिपोर्ट निर्धारित अवधि के अंदर भेजने का कष्ट करे ।

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक
दूरभाष: 24641640

प्रतिलिपि:

(1) श्री कन्हैया लाल गोंड,
अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा,
शाखा- आजमगढ़,
मोहल्ला- एलवल,
आजमगढ़, (उत्तर प्रदेश)
(मोबाइल नंबर: 9450736221)

स्पीड पोस्ट

(2) श्री महानन्द गोंड,
ज़िलाअध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा,
ग्राम + पोस्ट- पल्हना,
ज़िला- आजमगढ़, (उत्तर प्रदेश)
(मोबाइल नंबर: 9935957655)

(3) श्री संतन गोंड,
ग्राम- गहुनी,
तहसील & पोस्ट- मेहनगर,
ज़िला- आजमगढ़,
(उत्तर प्रदेश)
(मोबाइल नंबर: 7800730655)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website)

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

ज़िला प्रशासन, ज़िला- आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) द्वारा गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग दिनाक 16.07.2019 समय 02.30 बजे का कार्यवृत ।

(केस नंबर: KL/13/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)
(केस नंबर: SG/14/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

List of participants in the sitting is annexed.

2. श्री कन्हैया लाल गोंड, अध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा, शाखा- आजमगढ़, मोहल्ला- एलवल, आजमगढ़ ने अभ्यावेदन दिनाक 06.05.2019 के द्वारा आयोग को अवगत कराया कि ज़िला- आजमगढ़ के प्रशासन द्वारा तहसील- सदर में 30 व्यक्तियों, श्री महानन्द गोंड, ज़िलाअध्यक्ष, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा, ग्राम + पोस्ट- पल्हना, ज़िला- आजमगढ़ ने अभ्यावेदन दिनाक 06.05.2019 के द्वारा आयोग को अवगत कराया कि ज़िला- आजमगढ़ के प्रशासन द्वारा तहसील- लालगंज में 10 व्यक्तियों को तथा श्री संतन गोंड, ग्राम- गहुनी, तहसील & पोस्ट- मेहनगर, ज़िला- आजमगढ़ ने अभ्यावेदन दिनाक 06.05.2019 के द्वारा आयोग को अवगत कराया कि ज़िला- आजमगढ़ के प्रशासन द्वारा तहसील- मेहनगर में 39 व्यक्तियों को साक्ष्य होने के बावजूद, गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है । आयोग ने प्रकरणो में पत्र दिनाक 28.05.2019 द्वारा ज़िला अधिकारी, आजमगढ़ से तथ्य तथा आख्या भेजने का अनुरोध किया ।

3. उपरोक्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा दिनाक 16.07.2019 को आयोजित सिटिंग में ज़िला अधिकारी, आजमगढ़ उपस्थित नहीं हुये और उन्होने उप ज़िला अधिकारी, लालगंज, ज़िला- आजमगढ़ को सिटिंग में उपस्थित होने के लिए नामित किया । ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, ज़िला- आजमगढ़ तथा अभ्यावेदक एवं उनके प्रतिनिधि सिटिंग में उपस्थित हुये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अभ्यावेदक से ज़िला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पूछा । अभ्यावेदक ने बताया कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनाक 10.02.2019 को आजमगढ़ आगमन पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई थी । समीक्षा बैठक में माननीय उपाध्यक्ष दिये गये दिशा निर्देशों के बावजूद ज़िला प्रशासन द्वारा अभी भी गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे है ।

4. माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने ज़िला- आजमगढ़ प्रशासन के प्रतिनिधियों से प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही को बताने को कहा । ज़िला अधिकारी, लालगंज, ज़िला- आजमगढ़ ने अवगत कराया कि जिन लोगों के साक्ष्य सही पाये जाते है प्रशासन उन्हे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कर रहा है । आवेदको द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों में कमी होने के कारण प्रशासन अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पा रहा है, ऐसे आवेदको को तहसीलदार के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे । यदि तहसीलदार से आवेदक संतुष्ट नहीं है तो वह उप ज़िला अधिकारी तथा ज़िला अधिकारी से अपनी शिकायत कर सकता है । ज़िले में भुर्जी, भुजवा, भड़भूजा तथा कहार समुदाय के लोग भी गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र लेने की कोशिश में है । अतः प्रशासन बड़ी सावधानी के साथ छानबीन करके गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कर रहा है, जिससे आवेदको को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5. माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिन व्यक्तियों/ आवेदको द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्ष 1356 एवं 1359 फ़सली कि खतौनी जिसमे आवेदक या आवेदक के पूर्वज का नाम अंकित हो, प्रमाणित प्रति एवं अन्य साक्ष्य के साथ प्रेषित किया जाये । इन साक्ष्यों को तहसील में उपलब्ध मूल record से मिलान किये जाने के पश्चात, यदि सही पाया जाता है तो उस आवेदक/ व्यक्ति को गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, अविलंब निर्गत किया जाना चाहिए । जिन आवेदको/ व्यक्तियों के पास भूमि उपलब्ध नहीं है उनके रिश्तेदार से गवाई कराकर अथवा ग्राम प्रधान या ग्राम के गोंड समुदाय के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा स्थलीय परीक्षण के उपरांत, सही पाये जाने पर उनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए । सिटिंग में उपस्थित अनेक आवेदको जिनके पास सभी साक्ष्यों के उपलब्ध होने के बावजूद भी ज़िला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है, यह खेद का विषय है । इस पर ज़िला प्रशासन को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है ।

6. माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सिटिंग में उपस्थित श्री दीपक कुमार गोंड पुत्र श्री नन्द लाल गोंड, ग्राम- आराजीफुलाइच, तहसील- मेहनगर, ज़िला- आजमगढ़ द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उठाये गये प्रकरण पर, उप ज़िला अधिकारी, लालगंज को संबन्धित तहसीलदार को अविलंब कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने को कहा ।

7. प्रकरण में विस्तृत चर्चा के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निम्न सिफ़ारिशे करते हुए एक मास के अंदर आयोग को रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा :-

(1) ज़िला अधिकारी आजमगढ़ द्वारा ज़िले के सभी लेखपालों एवं तहसीलदारों तथा अन्य संबन्धित अधिकारियों को गोंड अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के प्रकरणो को प्राथमिकता देने को कहा जाये ।

(2) तहसीलदार- सदर, मेहनगर तथा लालगंज को गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लंबित प्रकरणो पर शीघ्र कार्यवाही करने को कहा जाये ।

(3) आवेदको की वास्तविकता का पता लगाने हेतु स्थलीय जांच के समय संबन्धित ग्राम प्रधान एवं गोंड समुदाय के संभ्रांत व्यक्तियों (जिस गाँव का आवेदक हो या निकट के गाँव से हो) जानकारी प्राप्त की जाये ।

(4) जिन व्यक्तियों के पास गोंड अनुसूचित जनजाति का पुराना प्रमाण पत्र है उनके अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को डिजिटल करने की अविलंब कार्यवाही की जाये । जिससे कम समय में अधिक लोगों को लाभ मिल सके ।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

ज़िला प्रशासन, जिला- आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) द्वारा गोंड समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न जारी करने के संबंध में सुश्री अनुसूइया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में आयोजित सिटिंग दिनाक 16.07.2019 समय 02.30 बजे के प्रतिभागियों की सूची ।

(केस नंबर: KL/13/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

(केस नंबर: SG/14/2019/STGUP/SEFCC/RU-I)

I **National Commission for Scheduled Tribes**

1. Ms. Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson — In Chair
2. Shri Gaurav Kumar, P. S. to Hon'ble Vice-Chairperson
3. Shri Rajeshwar Kumar, Assistant Director
4. Shri R.S. Misra, Senior Investigator

II **District- Azamgarh**

Ms. Priyanka,
SDM, Lalganj,Azamgarh

III **District Social Welfare Officer, Azamgarh**

Shri Rajesh Kumar Yadav

IV **Petitioner**

1. Shri Arvind Gond (Representative of Shri Sadanand Gond)
2. Shri Santan Gond
3. Shri Deepak Kumar Gond